

श्रीमान उपवन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

विषय:-प्रस्ताव Diversion of 0.9885 ha. Of forest land in favor of PWD
Rajasthan Construction of road from NH-8 KM stone No. 181
(Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to
13/00 Tehsil- Viratnagar Dist. Jaipur (Raj.) & Proposal No.
FP/RJ/ROAD/144437/2021 के संबंध में।

प्रसंग:-आपके कार्यालय के पत्रांक 4884 दिनांक 16.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि विभाग द्वारा आन लाईन प्रेषित प्रस्ताव Construction of road from NH-8 KM stone No. 181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00 Tehsil- Viratnagar Dist. Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 का परीक्षण करने के उपरान्त लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

क्र. सं.	आक्षेप	जवाब
1	The State Government has not mentioned the name of officers responsible for violation . thus details of the officers involved in the violation shall be submitted.	उक्त के क्रम में निवेदन है कि उक्त सड़क का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा.नि.वि. द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है RSAMB द्वारा उक्त सड़क सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हैक्ट. में सड़क पूर्व में ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा चुकी है भारत सरकार/राज्य सरकार इस संबंध में कोई भी दण्डात्मक राशि/कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी इस हेतु विभाग नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए वचनबद्ध है एवं तदानुसार वचनबद्धता संलग्न है विभाग द्वारा उक्त प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी पावटा द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता सा.नि. वि. उपखण्ड पावटा जयपुर के नाम एफ.आई.आर नं. 218/042 दिनांक 25.06. 2021 को दर्ज कराई गई थी जिसमें विभाग द्वारा एवजाना के रूप में राशि रु. 11259/- दिनांक 16.03.2022 चैक संख्या 001296 द्वारा जमा करवा दी गई है। उक्त समय में सा.नि.वि. खण्ड कोटपूतली में अधिशाषी अभियन्ता श्री गोविन्द गोपाल गोयल थे।


सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय विराटनगर